प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.09.2026

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अपराध के विरुद्ध सशक्त अभियान के अन्तर्गत थाना वेव सिटी क्षेत्र मे हुई सनसनीखेज लूट की घटना में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से लूट के 02 लाख 03 हजार 540 रु0 बरामद ।

दिनांक-21/08/2026 को थाना वेवसिटी क्षेत्रान्तर्गत श्री गिलमान पुत्र नईमुद्दीन निवासी अलीबाग कालोनी मेरठ से स्कॉर्पियों गाडी सवार बदमाशों द्वारा 24,85,000 रू0 की लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर मु0अ0स0-220/26 धारा-309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उक्त क्रम में स्वाट टीम, अपराध शाखा, स्वाट टीम नगर जोन व थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया था।
पुलिस आयुक्त कमिश्नेट गाजियाबाद के द्वारा अपराध के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के नेतृत्व में थाना वेवसिटी के उपरोक्त अभियोग में वाँछित अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए दिनाँक- 01/09/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना वेवसिटी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में उक्त अभियोग मे वाँछित 04 नफर अभियुक्त 1.शान पुत्र शमशाद, 2.अनस उर्फ चुहिया पुत्र सलीम उर्फ बाबू, 3.सोनू उर्फ अरमान पुत्र फकरूद्दीन व 4. कामिल पुत्र नकील को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी, गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 02 लाख 03 हजार 540 रू0 बरामद किये गये है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1.शान पुत्र शमशाद निवासी ग्राम महलका थाना फलावदा जिला मेरठ उम्र करीब 20 वर्ष
2.अनस उर्फ चुहिया पुत्र सलीम उर्फ बाबू निवासी मौ0 श्याम नगर भोपाल की कोठी थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष
3.सोनू उर्फ अरमान पुत्र फकरुद्दीन निवासी गली न0 12 श्याम नगर ऊचाँ सद्दीक नगर थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ उम्र करीब 20 वर्ष
4. कामिल पुत्र नकील निवासी नीलमणी कालोनी अरथला मोहन नगर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि अभियुक्त शान कि हम सब ने मिलकर दिनाँक-21/08/2026 को शाम करीब 07 बजे हाईटेक कॉलेज डासना गाजियाबाद के सामने दिल्ली मेरठ रोड से एक थार गाडी को अपनी सफेद रंग की स्कोर्पियो से ओवरटेक करके रुकवाकर उसमें सवार व्यक्तियो से 24,85,000 रूपये (चौबीस लाख पिचासी हजार रूपये) लूट लिये थे। हमें पता चला था कि मेरठ की कम्पनी से माल कैश के रूप में दिल्ली जाता है। पहले आस मौहम्मद और आसिफ ने इस बारे में रैकी की थी। रैकी करने के बाद घटना करने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाकर काफी सारे लड़के इकट्ठा किये थे। इसमें ओसामा ने हम लोगों की मदद की ओर ज्यादातर लड़के ओसामा ने इकटठा किये थे ओर गाड़ियों का इंतजाम भी ओसामा ने किया था। घटना को अंजाम देने के लिए हम लोग शोएब, चाँद, अनस उर्फ राजा, ओसामा, कामिल, अनस उर्फ डी०के० सहगल, चाचा उर्फ फरदीन उर्फ कल्लू, इंतजार, अनस उर्फ चुहिया, नदीम एववं ओसामा का भाई आदिल तया ओसामा का एक भाई ओर था जिसका नाम हमे नहीं पता। हम लोग घटना करने के बाद स्विफ्ट, अर्टिगा ओर स्कारपियो गाड़ियों से अलग अलग भाग गये थे। जिससे की पुलिस हमें ना पकड़ पाये। पुलिस से बचने के लिए हम लोग अलग अलग जगहों पर

जगह बदल बदल कर छिप रहे थे। आज हम पुलिस से बचते हुए पेरीफेरल हाइवे होते हुए गाँव के रास्तों से होते हुए निकलकर दिल्ली की तरफ जाने वाले थे कि आपने पकड़ लिया। कुछ पैसे हम लोगों ने खर्च कर दिये। हम लोगो से जो रूपये बरामद हुए है वह उसी लूट के है जो हमारे हिस्से मे आये हुए रूपयों मे से बचे हुए है। हमारे कुछ साथी पहले ही जेल जा चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास –

1.अभियुक्त अनस उर्फ चुहिया का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 453/2018 धारा-307,120बी भादवी थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ,
2. मु0अ0स0 454/2018 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ
3.मु0अ0स0 1073/2018 धारा - 25 आर्म्स एक्ट थाना खरखौदा जिला मेरठ
4.मु0अ0स0 1069/2018 धारा - 307,120बी,34भादवी थाना खरखौदा जिला मेरठ
5. मु0अ0स0134/2019 धारा - 411,414 भादवी थाना रेलवे रोड जिला मेरठ
6. मु0अ0स0 863/2019 धारा - 8/20एनडीपीएस एक्ट थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ
7. मु0अ0स0 92/2021 धारा - 5/25 ए.एक्ट थाना लिसाडीगेट मेरठ
8.मु0अ0स0-433/21 धारा-386/506 भादवि थाना लिसाडीगेट मेरठ
9.मु0अ0स0-75/23 धारा-3/25 ए.एक्ट थाना लिसाडीगेट मेरठ
10.मु0अ0स0-168/23 धारा-168/23 धारा-307/34/411 भादवि थाना मैडिकल कॉलेज मेरठ
11.मु0अ0स0-107/23 धारा-392 भादवि थाना मैडिकल कॉलेज मेरठ
12.मु0अ0स0-86/23 धारा-379/411 भादवि मेरठ
13.मु0अ0स0-70/23 धारा-392 भादवि थाना लालकुर्ती मेरठ
14.मु0अ0स0-649/25 धारा-191(2) / 191(3)/ 125 बीएलएस व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 ए.एक्ट थाना लोहियानगर मेरठ
15.मु0अ0स0-454/25 धारा-25 ए.एक्ट थाना लिसाडीगेट मेरठ
16.मु0अ0स0-453/25 धारा-307/120बी भादवि थाना लिसाडीगेट मेरठ

2.अभियुक्त शान का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0-34/2026 धारा 317(2), 318(4)BNS थाना देहलीगेट मेरठ

3.अभियुक्त सोनू उर्फ अरमान का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0-442/22 धारा-380/411 भादवि थाना लिसाडीगेट मेरठ

4.अभियुक्त कामिल आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

लूट के 02 लाख 03 हजार 540 रु0 नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2.थाना वेवसिटी पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.08.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 30.08.2026 को समय सायं लगभग 04:30 बजे प्रार्थी के भाई रिंकू उर्फ रिशांत पुत्र निरंजन शर्मा द्वारा गाँव के ही सोनू उर्फ कार्तिक शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा निवासी ग्राम कनौजा को भाई न बोलने पर उक्त सोनू द्वारा अपने चचेरे भाई मोहित पुत्र जीतू व अन्य सोएब पुत्र पेले, छोटा मोहित पुत्र सीताराम, दीपु पुत्र कुल्लन, विकास शर्मा पुत्र कृष्ण, प्रिंस पुत्र जीतू व जीतू पुत्र रिछपाल व कुछ अन्य के साथ मिलकर प्रार्थी के भाई रिंकु उर्फ रिशांत पुत्र श्री निरंजन शर्मा के साथ विवाद/मारपीट की गयी। सूचना मिली तो प्रार्थी के चाचा देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजाराम व अन्य परिवारजन झगड़े में बीच-बचाव के लिए आये तो मोहित पुत्र जीतू व सोएब पुत्र पेले द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर तलवार लेकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों पर जान से मारने की मंशा से हमला कर दिया गया, साथ ही विपक्षीगण उपरोक्त द्वारा प्रार्थी के घरों में घुसकर भी मारने का प्रयास किया गया। घटना का शोर शराबा सुनकर मौके पर ग्रामवासियों के एकत्रित हो जाने पर विपक्षी उपरोक्त प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये। इस घटना में प्रार्थी मनीष कुमार व परिवारजन अंकित शर्मा व सचिन शर्मा पुत्रगण सत्यप्रकाश शर्मा व रिंकू उर्फ रिशांत शर्मा पुत्र निरंजन शर्मा को काफी गंभीर चोटे आई है तथा प्रार्थी के चाचा देवेन्द्र शर्मा पुत्र राजाराम को मेडिकल उपचार के लिए जीवन अस्पताल मोदीनगर में ले जाया गया तो वहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2),191(3),190,103(1), 109(1),115(2),351(3),333 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 31.08.2026 को उपरोक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ कार्तिक शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा 2. सोएब पुत्र पेले 3. प्रिंस पुत्र जीतू निवासीगण ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 02.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रिछपाल 2.दीपू त्यागी पुत्र कुलदीप त्यागी उर्फ कुल्लन 3.मोहित उर्फ छोटा मोहित उर्फ ऋतिक पुत्र सीताराम निवासीगण ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त तलवार, एक हथौडेनुमा बारूद वाली रॉड व एक लोहे की सरिया हिसाली रेलवे यार्ड के पास झाड़ियों से बरामद किये गये। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गण उपरोक्त से पूछताछ करने पर जितेन्द्र उर्फ जीतू उपरोक्त के द्वारा बताया गया कि मेरे छोटे बेटे मोहित का रिंकू व अंकित के साथ विवाद हो गया था, जिसमें मैं भी मौके पर पहुँच गया था और मेरा बड़ा बेटा भी मौके पर आ गया था उसी दौरान मोहित, छोटा मोहित उर्फ ऋतिक, सोएब, दीपू, विकास शर्मा उर्फ सैंकी ये लोग भी मौके पर मौजूद थे और मौके पर मेरे छोटे बेटे मोहित को चोट आ गयी थी, चोटें देखकर हम लोग उत्तेजित हो गये थे, मोहित और मैंने तलवार से व मेरे साथियों द्वारा डण्डा, लोहे की रॉड व फावडे से देवेन्द्र शर्मा, अंकित शर्मा, रिंकू शर्मा व मनीष शर्मा के ऊपर वार कर दिया था जिसमें देवेन्द्र के तलवार लगने के कारण उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रिछपाल निवासी ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 54 वर्ष

2.दीपू त्यागी पुत्र कुलदीप त्यागी उर्फ कुल्लन निवासी ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष

3.मोहित उर्फ छोटा मोहित उर्फ ऋतिक पुत्र सीताराम निवासी ग्राम कन्नौजा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त तलवार, एक हथौडेनुमा बारूद वाली रॉड व एक लोहे की सरिया हिसाली रेलवे यार्ड के पास झाड़ियों से बरामद किये गये।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस, 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 01.09.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.सूबे पुत्र रामेश्वर निवासी बड़का आरिफपुर थाना मसूरी गाजियाबाद 2. विशाल पुत्र पदम सिंह निवासी जलालपुर रोड गली नंबर 11 थाना मुरादनगर गाजियाबाद 3. आकाश पुत्र सुंदर निवासी मेन बाजार चामुंडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद को थाना मसूरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस, 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, 01 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद। अभियुक्तगणों से बरामद मोबाइल के सम्बन्ध में थाना मसूरी पर धारा- 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। मोबाइल बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई तथा अवैध असलाह बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमने इस मोटरसाइकिल से कुछ दिन पहले नाहल रोड के पास से एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग गए थे तथा जो तमंचे हमसे बरामद हुए हैं ये हम स्नैचिंग के दौरान लोगों को डराने धमकाने के लिए अपने पास रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. सूबे पुत्र रामेश्वर निवासी बड़का आरिफपुर थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष
2. विशाल पुत्र पदम सिंह निवासी जलालपुर रोड गली नंबर 11 थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष
3. आकाश पुत्र सुंदर निवासी मेन बाजार चामुंडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

1. अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस,

2. 01 तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस,
3. 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

उपरोक्त मोबाइल स्नैचिंग की घटना के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अवैध असलाह बरामदगी के संबंध में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल बरामद।

दिनांक 01.09.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी अरुण कुमार निवासी भजनपुरा दिल्ली द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.सुमन 2.श्रीपाल 3.विकास 4.आकाश 5.सागर 6.यश 7.चंचल द्वारा वादी के पुत्र तरूण के साथ गाली-गलौज, मारपीट, फोन पर जान से मारने की धमकी देना व अपने ऑफिस बुलाकर जान से मारने की नियत से गोली मारना, जिससे वादी के पुत्र तरूण का गोली लगने पर घायल हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-115(2), 352, 351(3), 109(1), 3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण 1. आकाश शर्मा पुत्र श्रीपाल शर्मा निवासी गाँव सभापुर थाना सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष 2. सागर उर्फ शैलेन्द्र शर्मा उर्फ बुल्ली पुत्र विजयपाल शर्मा निवासी गाँव सभापुर थाना सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल बरामद हुयी। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों चचेरे भाई है। तरुण रिश्ते में हमारा जीजा लगता है। तरुण की शादी आकाश शर्मा की सगी बहन चंचल शर्मा से करीब 09 वर्ष पहले हुई थी। बहन के तीन बच्चे है। तरुण का हमारी बहन के साथ मारपीट व पुरानी घरेलू बातों को लेकर विवाद चला आ रहा है। उसी विवाद के सम्बन्ध में जब मेरा जीजा तरुण हमारे ऑफिस इलायचीपुर रोड़ रामपार्क आये तब हम लोगों के बीच कहासुनी हो गई जिस कारण गुस्से में आकर आकाश ने पिस्टल से जीजा के ऊपर गोली चला दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. आकाश शर्मा पुत्र श्रीपाल शर्मा निवासी गाँव सभापुर थाना सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. सागर उर्फ शैलेन्द्र शर्मा उर्फ बुल्ली पुत्र विजयपाल शर्मा निवासी गाँव सभापुर थाना सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, पूर्व में अभियुक्त आकाश शर्मा के विरूद्ध थाना सोनिया विहार दिल्ली में गैर इरादतन हत्या के प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 गैस सिलेंडर बरामद।

दिनांक 01.09.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि रिजवान पुत्र साबीर द्वारा वादी के खोखा से 01 गैस सिलेंडर चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 02.09.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त रिजवान पुत्र साबिर निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद को थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी का 01 गैस सिलेंडर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पास से जो गैस सिलेंडर बरामद हुआ हैं, ये मैंने रात में सैदपुर रोड पर एक खोखे से चोरी कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

रिजवान पुत्र साबिर निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 गैस सिलेंडर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। पूर्व में 01 चोरी का अभियोग व धारा-307 भादवि का 01 अभियोग थाना भोजपुर पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

स्वाट/सर्विलांस टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना इन्दिरपुरम पुलिस टीम द्वारा खुद को उच्च रैंक का अधिकारी बताकर नोटिस के सैटलमेन्ट के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 लाख 92 हजार रुपये व 03 मोबाइल फोन व 01 डायरी बरामद।

दिनांक 01.09.2026 को शिकायतकर्ता श्री विकास मित्तल निवासी इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद के द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर लिखित तहरीर दी गई और बताया कि अभियुक्त 1. अनिल प्रताप सिंह, 2. अनिकेत सिंह उर्फ कबीर

सिंह, 3. सिद्धार्थ जैन, 4. सलमान, 5 अंकित द्विवेदी द्वारा वादी को वरिष्ठ अधिकारी के रुप में फर्जी पहचान बताकर वादी से रंगदारी मांग रहे है व वादी से 50 लाख रुपये राशि ले लेने के सम्बन्ध मे तहरीर प्राप्त हुई। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर मैनुअल इनपुट सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 02.09.2026 को घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों 1. अंकित द्विवेदी पुत्र महेश चन्द्र द्विवेदी निवासी सैक्टर डी पैकेट ए फ्लैट न0- 1203 वसन्तकुंज थाना वसन्तकुंज नई दिल्ली 2-अनिल प्रताप सिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी पंचशील हाईनेस फ्लैट नम्बर 1408 ग्रेटर नोएडा वेस्ट थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर 3. सिद्धार्थ जैन पुत्र अजीत कुमार जैन निवासी म0न0- 10 जे0पी0 ब्लाक पीतमपुरा थाना मौर्य इन्क्लेव दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 लाख 92 हजार रुपये व 03 मोबाइल फोन व 01 डायरी बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक दुसरे का समर्थन करते हुए बताया कि विकास मित्तल निवासी इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद के दिल्ली स्थित फर्म ए टु जैड के नाम NIA/CBI से सम्बंधित को नोटिस आया था जिस पर योगेश ने उक्त नोटिस के सम्बंध में अपने परिचित सलमान निवासी दिल्ली नाम के व्यक्ति से चर्चा की जिसने बताया कि मेरी जान पहचान सभी विभागों के काफी उच्च अधिकारियों से है। मैं मामला सैटलमेंट करा दूंगा। इस पर सलमान एवं सिद्धार्थ जैन के माध्यम से अनिल प्रताप सिंह द्वारा योगेश(फर्म के मैनेजर) से सम्पर्क किया गया एवं खुद को उच्च अधिकारी रैंक का अधिकारी बताया कि मैं आपके नोटिस का सैटलमेन्ट कराकर निस्तारण करा दूंगा नहीं तो आपको इसमें जेल जाना पडेगा और फर्म बर्बाद हो जायेगी। इसके लिये आपको 15 करोड रुपये खर्च करने पडेंगे। इस पर अनिल प्रताप सिंह द्वारा योगेश के उपरांत फर्म के मालिक/मुकदमा उपरोक्त के वादी विकास मित्तल से सम्पर्क किया गया तथा बार बार नोटिस के नाम पर कार्यवाही व जेल जाने का डर दिखाकर मुकदमा वादी विकास मित्तल से अवैध धनराशि की वसूली की गयी थी तथा इस काम के लिए अनिल प्रताप सिंह द्वारा अपने पुत्र अनिकेत उर्फ कबीर के साथ अंकित द्विवेदी को पैसे के लेने के लिए वादी के पास भेजा गया था और वादी से डरा- धमकाकर अवैध धन वसूली हम सभी ने मिलकर की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अंकित द्विवेदी पुत्र महेश चन्द्र द्विवेदी निवासी सैक्टर डी पैकेट ए फ्लैट न0- 1203 वसंतकुन्ज थाना वसंतकुन्ज नई दिल्ली उम्र करीब 36 वर्ष।
2. अनिल प्रताप सिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी पंचशील हाईनेस फ्लैट नम्बर 1408 ग्रेटर नोएडा वेस्ट थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 64 वर्ष।
3. सिद्धार्थ जैन पुत्र अजीत कुमार जैन निवासी म0न0- 10 जे0पी0 ब्लाक पीतमपुरा थाना मौर्य इन्कलेव दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष।

फरार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. अनिकेत उर्फ कबीर पुत्र अनिल प्रताप सिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी पंचशील हाईनेस फ्लैट नम्बर 1408 ग्रेटर नोएडा वेस्ट थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. सलमान निवासी हरी नगर घंटाघर के पास दिल्ली।

बरामदगी-

- 01 लाख 92 हजार रुपये।
- 03 मोबाइल फोन।
- 01 डायरी।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोगः –

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट/सर्विलांस टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.08.2026 को थाना कौशाम्बी पर वादिनी द्वारा लिखित तहरीर दी कि मो0 जमीर निवासी बड़ी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड़ जनपद गाजियाबाद द्वारा वादिया के भाई राजू व उसके मित्र मंजूर के साथ कहासुनी होने पर कांच की बोतल से वार करके दोनों को गम्भीर रुप से घायल कर दिया। जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 118(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मेडिकल रिपोर्ट व साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। आज दिनांक 02.09.2026 को अभियुक्त मो0 जमीर उपरोक्त को अभियुक्त के पते बड़ी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना क्षेत्र लिंकरोड़ से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मो0 जमीर उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्तमान मे महाराजपुर में बडी मस्जिद के पास अपनी मौसी के पास रहता है। वही पर राजू व मन्जूर भी रहते है दिनांक 31/08/2026 को मैं अपने काम से वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते मे आन्नद विहार बॉर्डर के पास राजू व मन्जूर मिले मै भी उनके साथ था। रास्ते में उन दोनो ने मेरी जेब से मेरे 5200 रुपये निकाल लिये तो मैने उनसे कहा कि तुमने मेरे जेब से 5200 रुपये चुरा लिये है उन्हे वापस कर दो तो वह दोनो मना करने लगे कि हमने तुम्हारे रुपये नही निकाले है। मैने कहा कि या तो मेरे चोरी किये रुपये दे दो नहीं तो तुम दोनो को जान से मार दूंगा, लेकिन उन्होने मेरे रुपये वापस नही किये मुझे अपने घर बिहार जाना था मेरे पास वही रुपये थे तो मुझे गुस्सा आ गया और मैने उन दोनो पर आवेश मे आकर कि तुम मेरे चोरी किये रुपये नही दे रहे हो तो मैं तुम्हे जान से मार देता हूं। यह कहते हुए मैने बैग मे रखी कांच की बोतल निकाल कर तोडकर मन्जूर व राजू को जान से मारने की नीयत से कांच की बोतल तोडकर मन्जूर के गले पर व राजू के सिर व गले पर कई वार किये जिससे वह दोनो गम्भीर रुप से घायल हो गये थे और भीड इकठ्ठी हो गई थी तब मै वहां से भाग गया था आज मै अपने घर बिहार जाने वाला था तभी मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- मौ0 जमीर पुत्र जूनूष उर्फ यूनुस निवासी बड़ी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड़ गाजियाबाद मूल पता ग्राम बाजीदपुर सातनपुर वार्ड नं0 14 थाना उजियारपुर जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 31 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 एसी इन्डोर, 01 एसी आउटडोर, 01 एसी का लोहा कवर , 01 चोरी का इन्डक्शन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 01.09.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरगोविन्द सिंह निवासी S41 यूनियन बैंक आफ इंडिया शालीमार गार्डन गाजियाबाद की प्राप्त तहरीर के आधार पर बैंक के एटीएम से अज्ञात चोर द्वारा 02 एसी इन्डोर व 01 एसी आउटडोर चोरी कर ले जाने के सबंध में अन्तर्गत धारा 324(4)/303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 02.09.2026 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. विकास उर्फ विजय पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम बाबली थाना बड़ौत बागपत वर्तमान पता बी 2, 458 नन्द नगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष, 2. राहुल पुत्र गोपीचन्द उर्फ बालकिशन निवासी गांव सिखेड़ा थाना गंगानगर मेरठ वर्तमान पता भगवानपुर खेड़ा 1/3871 लोनी रोड शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष को हुंडई कट के पास शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 03 एसी इन्डोर, 01 एसी आउटडोर, 01 एसी का लोहा कवर, 01 चोरी का इन्डक्शन एवं घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों मिलकर एटीएम से एसी चोरी करते हैं और एसी चोरी करके हम दोनों मिलकर चलते- फिरते कबाड़ी को बेच देते हैं। उक्त बरामद एसी को हम दोनों ने मिलकर शालीमार गार्डन बिजलीघर के पास यूनियन बैंक के एटीएम, एचडीएफसी के एटीएम व उसके पास ही एक्सिस बैंक के एटीएम से कुछ दिनों पहले चोरी किया था। राहुल एटीएम के बाहर खड़ा होकर आने जाने वाले व्यक्तियों की निगरानी करता था तथा विकास उर्फ विजय एटीएम के अन्दर जाकर एसी खोल देता था। दिनांक 29/08/2026 को एचडीएफसी के एटीएम से 01 इन्डोर एसी व एक्सिस बैंक के एटीएम से 01 इन्डोर एसी व दिनांक 30/08/2026 को बिजलीघर के पास ही यूनियन बैंक के एटीएम से 02 इन्डोर एसी व दिनांक 31/08/2026 को उसी बैंक के एटीएम से 01 एसी का आउटडोर की चोरी की थी। कुल बैंक के एटीएम से हम दोनो ने 04 इन्डोर एसी व 01 आउटडोर एसी चोरी किया था। हमारे पास से जो AC मिलें हैं यह यूनियन बैंक के एटीएम व एचडीएफसी बैंक के एटीएम के हैं। चोरी में प्रयोग मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में पूछा गया तो विकास उर्फ विजय ने बताया कि इसी मोटरसाइकिल से हम दोनों चोरी करते हैं यह मोटरसाइकिल मेरी ही है। अन्य चोरी के सम्बन्ध में पूछा गया तो दोनों ने बताया कि हम दोनों ने मिलकर कुछ दिन पहले बिजलीघर के पीछे सोसायटी में एक घर में ताला तोडकर ग्लास, कटोरी, चम्मच, इंडक्शन चूल्हा व कुछ रूपये चोरी किये थे। चोरी का सामान हमने राह चलते व्यक्ति को सस्ते दामों में मजबूरी बताकर बेच दिया था जो सामान बेचकर हमें रूपये प्राप्त हुए थे वो हमने बराबर बराबर बांट लिये जो हमसे खर्च हो गये। जो आपको हमारे पास से इंडक्शन चूल्हा मिला है वह उसी घर से चोरी किया हुआ चूल्हा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. विकास उर्फ विजय पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम बाबली थाना बड़ौत बागपत वर्तमान पता बी 2, 458 नन्द नगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।

2. राहुल पुत्र गोपीचन्द उर्फ बालकिशन निवासी गांव सिखेड़ा थाना गंगानगर मेरठ वर्तमान पता भगवानपुर खेड़ा 1/3871 लोनी रोड शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुध्द थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी के 03 एसी इन्डोर, 01 एसी आउटडोर, 1 एसी का लोहा कवर , 01 चोरी का इन्डक्शन, घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

यातायात प्रबन्धन के दृष्टिगत यातायात पुलिस के अधि०गणों के साथ गोष्ठी

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय की अध्यक्षता में दिनांक **02-09-2026** को महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था/यातायात), पुलिस उपायुक्त (यातायात), अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात), समस्त सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) तथा समस्त यातायात निरीक्षक उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले महीने की प्रवर्तन कार्यवाहियों की समीक्षा करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले जाम से आम जनता को निजात दिलाना था। इसके साथ ही, पुलिस प्रबंधन और अन्य कार्यदायी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, इसके अलावा निम्न बिन्दुओं पर कार्ययोजना के तहत निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु निर्णय लिया गयाः-

- **साप्ताहिक विशेष ड्रंक एण्ड ड्राइव अभियान**: प्रत्येक सप्ताह के अंत में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक **शुक्रवार और शनिवार की शाम** को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की कड़ी चेकिंग की जाएगी तथा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने वाले चालको के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके।
- **जैब्रा लाइन नियमों का पालन:** शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर जहां जैब्रा लाइनें बनी हैं, वहां वाहन चालकों को पी.ए. (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के जरिए सचेत किया जाएगा कि रेड लाईट होने पर अपने वाहन को जैब्रा लाइन के पीछे ही रोकें और यातायात नियमों का पालन करें।

- **आईटीएमएस के माध्यम से चालान:** शहर में बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और रेड लाइट उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध आईटीएमएस (ITMS) के द्वारा कुल 1,26,105 चालान किए गए हैं। भविष्य में भी यातायात पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी विशेष सतर्कता बरतेगी।
- **इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल:** प्रत्येक सबजोन में यातायात व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करने के लिए एक **इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (Emergency Response Vehicle)** की तैनाती की जाएगी। जैसे ही सबजोन के किसी भी हिस्से में जाम लगने की सूचना मिलेगी, यह टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू और सामान्य कराएगी।
- **यातायात कार्यालयों का निर्माण:** प्रत्येक सबजोन में यातायात निरीक्षकों के दैनिक कार्यों के लिए एक-एक कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 08 सबजोन में कार्य पूरा हो चुका है तथा लोनी सबजोन के कार्यालय का शेष कार्य आगामी दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।
- **सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट:** आम नागरिकों के दैनिक आवागमन को सुगम बनाने के लिए नगर के मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति की जानकारी यातायात पुलिस के सोशल मीडिया **X हैंडल @Gzbtrafficpol** के माध्यम से नियमित रूप से अपडेट की जाएगी।